परिपत्र संख्या-वि.अनु.शा.-2021-22/ 202 /कम्प्यूटर0परि0सं0- 2122007 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(वि.अनु.शा. अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 07 जून , 2021

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि.अनु.शा.),

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्य0/वि0अनु0शा0)/डि0कमि0/असि0कमि0/वा0क0अधि0

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- अधिक मूल्य के ई-वेबिल जनरेट करने वाले नये पंजीकृत व्यक्तियों की जॉच के सम्बंध में।

संज्ञान में आया है कि जी.एस.टी. के अर्न्तगत प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में नये पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा अल्प अवधि में ही अत्यधिक मूल्य के ई-वेबिल जनरेट करने वाले व्यक्तियों के घोषित व्यापार स्थलों की जॉच पर प्राय: कोई वास्तविक व्यापार होता हुआ नहीं पाया जा रहा है। ऐसे नये पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा या तो माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना बोगस आई.टी.सी. का लाभ किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति को पहुँचाने के उद्देश्य से अथवा करापवंचन में लिप्त क्रेता एवं बिक्रेता के मध्य होने वाले संव्यवहारों से सम्बंधित माल का आवागमन सुगम बनाने हेतु ई-वेबिल जनरेट किया जाता है। ई-वेबिल पोर्टल से नये पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जनरेट किये जाने वाले ई-वेबिल सम्बंधी प्राप्त डाटा के आधार पर फील्ड के अधिकारियों के उपयोगार्थ माह-अप्रैल, 2021 में "High value EWB Generation by newly registered person"की एम.आई.एस. विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी है जिसके आधार पर कार्यवाही की निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है:-

1- पंजीयन प्राप्ति के पश्चात अल्प अवधि में रु0 पचास लाख से अधिक की इनवर्ड अथवा आउटवर्ड आपूर्ति के ई-वेबिल जनरेट करने वाले प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत ऐसे प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीयन के समय अपलोड किये गये प्रपत्रों की जॉच के साथ-साथ घोषित व्यापार स्थल की अनौपचारिक रुप से प्रारम्भिक जॉच (रेकी) खण्ड कार्यालय में तैनात अधिकारियों (वाणिज्य कर अधिकारी अथवा असिस्टेण्ट कमिश्नर) द्वारा की जायेगी।

2- प्रान्तीय क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत प्रतिकूल पाये जाने वाले मामलों में खण्ड कार्यालय में तैनात अधिकारियों द्वारा तत्काल पंजीयन निरस्तीकरण तथा अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

3- प्रारम्भिक जॉच में प्रतिकूल पाये गये केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के मामलों में सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि.अनु.शा.) को आसूचना आधारित अग्रिम प्रवर्तन कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया जायेगा। वि.अनु.शा. इकाई द्वारा आसूचना आधारित जॉच नियमानुसार करते हुए वॉछित संस्तुतियॉ सम्बंधित कार्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित की जायेंगी।

4- वि.अनु.शा. इकाईयों द्वारा भी उक्त MIS पर उपलब्ध डेटा का मासिक रुप से अनुश्रवण एवं विश्लेषण किया जायेगा। अप्रत्याशित रुप से अधिक मूल्य के ई-वेबिल जनरेट करने वाले पंजीकृत व्यापारी, जो करापवंचन की किसी श्रृंखला की कड़ी के रुप में जुड़े हैं या करापवंचन में लिप्त हैं, की नियमानुसार जॉच करते हुए प्रान्त के अन्दर और बाहर की पूर्ववर्ती, अनुवर्ती एवं अन्य सम्मिलित फर्मो के सम्बंध में पाये गये प्रतिकूल तथ्यों/इनपुट की रिपोर्ट सम्बंधित प्रापर ऑफीसर को प्रेषित की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7/6/2021

(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर,वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।